ई-मेल द्वारा/ महत्वपूर्ण
संख्या- 54 /नौ-6-2024/E-1697893

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-**6** लखनऊः दिनांकः 21 जून, **2024**

विषयः- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में पालिका (अकेन्द्रीयीत) सेवानिवृत्त लाभ नियमावली-1984 में कुटुम्ब की परिभाषा में सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान के निमित्त विधवा पुत्रवधू को सम्मिलित किये जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवा संशोधन) नियमावली, 2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या एक/666/अके0सेवानि0रूल्स/23 दिनांक 29-12-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका (अकेन्द्रीयीत) सेवा में सेवानिवृत्त लाभ नियमावली-1984 के नियम-2 के खण्ड-च में 'परिवार' में उपखण्ड-9 में विधवा पुत्रवधू को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियमावली का संशोधन प्रस्ताव पर आवश्यक कायवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत करना है कि कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 प्रख्यापित की गयी है, जिसके नियम 2(ग) में निम्नवत् प्राविधान किये गये है:-

''2(ग) (तीन) पुत्रियां, (जिनमें दत्तक पुत्रियां सम्मिलित है,) और ***विधवा पुत्र वधुए,***
(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था''

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त नागर निकायों में अकेन्द्रीयीत सेवाकाल के मृत सरकारी सेवकों के विधवा पुत्रवधु को आश्रित श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सेवकों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 को अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

तद्नुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

Signed by
Amrit Abhijat
Date: 20-06-2024 17:59:32

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
3- समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- कम्प्यूटर सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजीवन)
उप सचिव।